तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री अजीत सिंह राठौड, अभिभाषक प्रार्थी
श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, उप राजकीय अभि0अप्रार्थी

दिनांक : 17.5.2022

आदेश

यह प्रार्थना पत्र धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के पूर्वज ग्राम कांकाणी के जागीरदार थे, जिनकी खातेदारी काश्तकारी एवं निजी घोषित सम्पत्तियां ग्राम कांकाणी तहसील लूणी में अवस्थित है, जिन पर प्रार्थी आज दिनांक लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है। जागीर प्रथा समाप्त होने के समय समस्त भूमियां एवं सम्पत्तियां जागीरदार के निजी उपयोग उपभोग में लाई जा रही थी उनको जागीर कमिश्नर जयपुर द्वारा जागीरदार कांकाणी की निजी सम्पत्तियां घोषित की गई एवं इस बाबत जागीर कमिश्नर जोधपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 2234/जा/एड/प/58 दिनांक 23–2–1959 द्वारा इस प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में क्रमांक 1 से 7 में वर्णित सम्पत्तियों को प्रार्थी के पिता की निजी सम्पत्तियां घोषित की गई। उनका यह भी तर्क है कि इस प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित निजी घोषित सम्पत्तियों में से क्रमांक 5 व 6 पर अंकित भूमियों के खसरा नम्बरान का उल्लेख किया गया है क्योंकि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का सम्पूर्ण रकबा जागीरकाल से प्रार्थी के कब्जे में चला आ रहा है लेकिन क्रम संख्या 1 से 4 तथा 7 में अंकित सम्पत्तियों में खसरा नंबरान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि उक्त सम्पित्तियां जिन खसरा नम्बरान में स्थित है उनके आंशिक हिस्से पर ही प्रार्थी जागीरकाल से काबिज होने के कारण काबिज रकबे तक ही निजी सम्पत्ति घोषित की गई है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 के क्रमांक 3 से 6 में अंकित सम्पत्तियां, जो त्रुटिपूर्ण रूप से रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दी गई, को जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा सन् 2009 में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर का गठन होने के पश्चात हस्तान्तरण कर दी गई जो वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित समस्त सम्पत्तियां जागीर कमिश्नर जोधपुर के आदेश दिनांक 23–2–1959 द्वारा प्रार्थी के पिता तत्कालीन जागीरदार ठिकाना कांकाणी श्री मानसिंह की निजी सम्पत्तियां घोषित की जा चुकी है जिन पर पूर्व में तत्कालीन जागीरदार श्री मानसिंह एवं वर्तमान में प्रार्थी, उनका पुत्र होकर यथावत काबिज होकर उपयोग, उपभोग करता आ रहा है। जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी, धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नोटिस से होती है। इस प्रकार प्रार्थी अपनी निजी घोषित सम्पत्तियों पर काबिज चला आ रहा है जिसकी दुरूस्ती की जाकर अधिकार अभिलेख में प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी ने जागीर कमिश्नर जोधपुर के आदेश दिनांक 23–2–1959 की पालना निश्चित करने बाबत तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 1026 दिनांक 5–6–2018 को प्रस्तुत किया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तत्पश्चात दिनांक 30–10–2019 को प्रार्थी द्वारा तहसीलदार लूणी के समक्ष पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 5–6–2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 6–11–2019 को तहसील कार्यालय द्वारा ''प्रार्थना पत्र ढूंढने पर नहीं मिला है पुराना होने से'' प्रार्थी को पुनः लौटा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिया। उनका तर्क है कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त विवेचन के अनुसार जागीर कमिश्नर जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–2–1959 की पालना हेतु लगातार प्रयास किया गया है लेकिन राजस्व ऐजेन्सी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जागीर कमिश्नर जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–2–1959 की पालना सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जावे। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सारहीन बताते हुए खारिज करने निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जागीर कमिश्नर जयपुर के पत्र दिनांक 23–2–59 की प्रमाणित फोटो स्टेट प्रतिलिपि के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि जागीर कमिश्नर जोधपुर द्वारा उक्त पत्र दिनांक 23–2–59 में क्रमांक 1 से 7 पर अंकित सम्पत्तियों को जागीरदार ठिकाना कांकोणी श्री मानसिंह की निजी सम्पत्ति बाबत स्वीकृति पत्र जारी करते हुए राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण की धारा 23 (2) के अनुसार सम्पत्ति की मान्यता प्रदान की है। प्रार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क है कि जागीर कमिश्नर जोधपुर के आदेश दिनांक 23–2–1959 की पालना निश्चित करने बाबत प्रार्थी द्वारा लगातार प्रयास किये जाने के उपरान्त भी राजस्व ऐजेन्सी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह तथ्य भी उभरकर सामने आया है कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	क्रमांक 3 से 6 पर अंकित आराजीयात राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होकर जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा सन् 2009 में जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दी गई एवं वर्तमान में उक्त आराजी जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात हम तहसीलदार लूणी को प्रकरण में पूर्ण जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करना न्यायोचित समझते हैं। अतः यह प्रार्थना पत्र ग्राह्यता के स्तर पर निर्णित किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनकर प्रकरण में विस्तृत रूप से जांच करने के उपरांत नियमानुसार उचित कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	